

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मु0 जयपुर  
परिवहन मार्ग, जयपुर - 302001

क्रमांक:- मु./विधि/सामा/2020 /

दिनांक :

कार्यालय-आदेश

माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ विभिन्न न्यायालयों लम्बित प्रकरणों की पत्रावलियों का अवलोकन /परीक्षण किया जा कर सम्बन्धित से समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को मुख्यालय स्तर पर प्रकरणों का परीक्षण किया जा कर विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों के आलोक में समझौता हेतु प्रकरणों का स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करने हेतु निगम पैनल अभिभाषकगण की कमेटी गठित की जाती है:-

- क-1. श्री वी.पी. माथुर।  
2. श्री रेवडमल बैरवा।  
3. श्री मोहित बलवदा।  
4. देव्यानी राठौड

- ख- 1- श्रीओ.पी. स्योराण  
2-श्री प्राज्जुल चौपडा  
3- श्री बॉबी दत्ता  
4- श्री भरत यादव

उक्त कमेटी को, प्रत्येक प्रकरणों के परीक्षण उपरान्त समझौता योग्य पाये जाने वाले प्रकरणों में प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन के उपरान्त प्रत्येक प्रकरण में रूपये 500/- फीस देय होगी।

(हारून अली)

कार्यकारी निदेशक (विधि)

क्रमांक:- मु./विधि/सामा./2020 / 65

दिनांक:- 4-3-2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव अध्यक्ष रारापपनिगम, मुख्यालय जयपुर।
- 2- निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक रारापपनिगम, मुख्यालय जयपुर।
- 3- वित्तीय सलाहकार रारापपनिगम, मुख्यालय जयपुर।
- 4-कार्यकारी निदेशक(प्रशासन/यातायात/विधि) रारापपनिगम, मुख्यालय जयपुर।
- 5- महा प्रबन्धक(वित्त) रारापपनिगम, मुख्यालय जयपुर।
- 5- कार्यकारी प्रबन्धक( ) रारापपनिगम मु0 जयपुर।
- 6- श्री ..... सेवानिवृत्त क0 विधि अधिकारी द्वारा रारापपनिगम.....
- 7- आदेश पत्रावली

(हारून अली)

कार्यकारी निदेशक (विधि)